N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0188 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/07/2025 17:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:56 बजे **Time To (समय तक):** 13:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/07/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/07/2025 17:15:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHSIL KARYALAY BANSUR, JILA KOTPUTLI-BEHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ROSHAN GURJAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): LALARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM BABERA, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM BABERA, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA SINGH MAURYA		पिता:BODAN LAL	1. GRAM BALAWAS,BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 16.07.2025 को समय करीब 02.56 पीएम पर परिवादी श्री रोशन गुर्जर पुत्र श्री लालाराम उम्र-33 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेरा तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कर बताया कि मैने मेरी माताजी श्रीमती मूर्ति देवी के नाम से सन् 2023 में राजस्व ग्राम केहर पुरा में पॉच बिस्वा जमीन क्रय की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 19.06.2023 को तहसील बानसूर में करवाई गई। हमारे द्वारा क्रय की गई जमीन की हल्का पटवारी को रजिस्ट्री देने पर पटवारी द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने की प्रक्रिया की गई, लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत बबेरा द्वारा उक्त नामान्तकरण को यह लिखते हुये खारीज कर दिया कि मौके पर जमीन कब्जे में नही है। इसके बाद मैने उक्त नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए एसडीएम कोर्ट बानसूर में अपील हेतु प्रार्थना पत्र जरिये वकील पेश किया गया। एसडीएम कोर्ट द्वारा अपील पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार बानसूर को नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज करने के आदेश दिये गये। आदेश देने के बाद मै तहसील बानसूर में ऑफिस कानूनगो श्री महेन्द्र कुमार मोर्य से मिला और नामान्तकरण के लिए पूर्ण कार्यवाही में क्रेता विक्रेता के बयान तथा पटवारी की मौका रिपोर्ट करवाकर उनको दे दी गई। जब मैने उनसे नामान्तकरण की आगे की कार्यवाही के लिए आदेश चाहा तो उन्होने टाल मटोल कर फिर मेरे से मेरे नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी को आदेश दिलवाने के लिए 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। मै ऑफिस कानूनगो को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। इस पर परिवादी को कार्यवाही हेतु मांग सत्यापन करवाने व रिपोर्ट देने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब अब मै आपके कार्यलय में आऊंगा तो लेट हो जाऊंगा और मुझे घर पर जरूरी काम है मै कल दिनांक 17.07.2025 को सुबह यही बानसूर बस स्टैण्ड पर मिल जाऊंगा और मांग सत्यापन करवा दुगां तथा फिर आपके कार्यालय में उपस्थित होने पर इस सम्बन्ध में आपको लिखित रिपोर्ट पेश कर दुगां। परिवादी से हुई जरिये दूरभाष वार्ता से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर दिनांक 17.07.2025 को समय करीब 06.00 एएम पर श्री राजबीर सिंह कानि0 443 को जरिये फर्द कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया एसडी कार्ड के चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द्व कर परिवादी के मोबाईल नम्बर से अवगत करवाकर उससे सम्पर्क कर मांग सत्यापन करवाने हेतु बस स्टेण्ड बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.30 पीएम पर बाद मांग सत्यापन श्री राजबीर सिंह कानि. नं. 443 मय परिवादी श्री रोशन गुर्जर के कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद समय करीब 06.10 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री राजबीर सिंह कानि0 ने सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश किया एंव परिवादी श्री रोशन गुर्जर ने मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ता के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन के विभागीय वाईस रिकॉर्डर को चालूकर सुना गया तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मोर्य ऑफिस कानूनगो द्वारा परिवादी से उसकी माताजी के नाम क्रय की गई पॉच बिस्वा जमीन का नामान्तकरण करवाने के लिए आदेश देने की एवज में परिवादी से 6,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 5,000 रूपये रिश्वत लेने में सहमत हुआ तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद हुई। वाईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में रखा गया।तत्पश्चात परिवादी ने दिनांक 16.07.2025 को हुई मोबाईल वार्ता में बताये गये तथ्यों के आषय का लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर मजिद दरियाफत की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अपना हस्त लिखित होना एंव उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना बताया।इसके बाद श्री निहाल सिंह कानि0 595 को अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र हमराह देकर दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 7.00 पीएम पर श्री निहाल सिंह कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा इल्कट्रीशियन-प्रथम व श्री गौरव हैल्पर-प्रथम के कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से परिचय कर कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों ने अपनी-2 सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री रोशन गुर्जर से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित

सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मोर्य ऑफिस कानूनगो तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 17.07.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रोशन गुर्जर द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मौर्य कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु दो खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर दोनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से दो पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से निकाली जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का । A-1 व A-2 अंकित किया जाकर मार्क A-1 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दूसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क A-2 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया । जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में रात्रि मूकीम कर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 18.07.2025 को समय 7.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 18.07.2025 को पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह दिये गये समय पर कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये 10 नोट कुल 5,000/-रूपये निकालकर पेश किये जिनके नम्बरो का वर्णन फर्द पेशकशी रिश्वती राशी में अंकित कर नोटो पर श्री निहाल सिंह कानि 595 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा से लिवाई जाकर पाऊडर युक्त रिश्वत राशी 5 हजार रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को ईशारा सिर पर हाथ फेरने व उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल व मिस कॉल करने का बताया गया। गवाहान व परिवादी को फिनालफथैलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के मेल झोल के बारे प्रदर्शन देकर समझाया गया तथा परिवादी को वर वक्त रिश्वत राशी लेन देन के समय आरोपी से होने वाली वार्ता को टेप करने के लिए वाईस रिकॉर्डर मय एसडी मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया।इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई, महिला कानि0 श्रीमती मिनाक्षी, कानि0 श्री राजबीर सिंह व परिवादी श्री रोशन के एक प्राईवेट वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि न0 27, श्री रवि कुमार कानि0 352, श्री लल्लूराम कानि0 487 एंव दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री पकंज कुमार शर्मा व श्री गौरव के सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से तहसील कार्यालय बानसूर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.50 पीएम पर तहसील कार्यालय बानसूर के नजदीक पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाया जाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान एंव स्टाफ सदस्यो को दोनों वाहनो से नीचें उतारकर परिवादी को विभागीय वाईस रिकार्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास समय करीब 12.55 पीएम पर रवाना किया गया एंव बाकि समस्त स्टाफ सदस्य परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर उक्त तहसील परिसर के अन्दर अपनी-2 उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे।इसके बाद समय करीब 01.05 पीएम पर परिवादी श्री रोशन गुर्जर पुत्र श्री लालाराम उम्र-जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेरा तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड ने तहसील कार्यालय बानसूर के मुख्य द्वार के सामने छत पर खडा होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देशानुसार तहसील कार्यालय बानसूर में श्री महेन्द्र कुमार मौर्य ऑफिस कानूनगो के कार्यालय में गया तो वह मुझे अपने कार्यालय कक्ष में बैठा हुआ अपने फोन पर वार्ता करता हुआ मिला। उनके वार्ता करने के बाद मैने उनको राम राम बोला और फिर मै उनके पास ही कुर्सी पर

बैठ गया। इसके बाद मैने उनको साईड में आने के लिए कहा तो वह अपने कमरे से बाहर निकलकर खाली बने टीन सैड के बरामदे में मुझे ले गया और मेरे से मेरे नामान्तकरण के आदेश दिलवाने के लिए अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 5,000/- रूपये देने के लिए कहा तो मैने उनको उनकी तय शुदा रिश्वत राशी 5,000/- रूपये पाऊडर युक्त अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उनको दिये और कहा कि साहब गिन लो पूरे 5,000/- रूपये है तो उन्होने मेरे से उक्त रिश्वत राशी अपने दाहिने हाथ में प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी बगल की जेब में रख लिये। इसके बाद मैने कानूनगो साहब से मेरे आदेश की प्रति देने बाबत कहा तो उन्होने कहा कि बाद में ले जाना। इसके बाद मैने आपको नियत ईशारा अपने मोबाईल से मिस कॉल देकर कर दिया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हम राहीयान के परिवादी के पास तहसील कार्यालय की सिढियों से होते हुये प्रथम तल पर पहुँचें तो प्रथम तल पर बने टीन सैड के बरामदे में खडे पेन्ट शर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री महेन्द्र कुमार मोर्य ऑफिस कानूनगो साहब है जिन्होने मेरे से मेरी माताजी के नाम क्रय की गई पॉच बिस्वा जमीन का नामान्तकरण दर्ज करवाने के आदेश दिलवाने के लिए अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 5,000/- रूपये मेरे से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है जो अभी भी इनकी दाहिनी जेब में ही रखे हुये है। इस पर उक्त व्यक्ति ने ट्रेप टीम को देखकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से रूपये निकालकर वहा रखे कचरा पात्र में डाल दिये और दूसरी साईड की सीढियों से उतरकर नीचे कार्यालय परिसर में आ गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री राजवीर सिंह कानि0 को कचरा पात्र के अंदर आरोपी द्वारा डाली गई रिश्वती राशी की निगरानी हेतु छोडकर उक्त व्यक्ति को जाने की सहायता से रूकवाकर, उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र सिंह मौर्य पुत्र श्री बोदन लाल उम्र 53 साल जाति धानका निवासी ग्राम बालावास, तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड होना बताया। तत्पश्चात् श्री महेन्द्र सिंह मौर्य को परिवादी श्री रोशन गुर्जर से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 17.07.2025 को 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर 5,000/- रूपये लेने में सहमत होने एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 18.07.2025 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि 5,000/- रूपये बाबत पूछा गया, की आपने उक्त राशी परिवादी से किस काम के लिऐ है और वह कहाँ है। इस पर आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य ऑफिस कानूनगो ने बताया कि साहब श्री रोशन गुर्जर दिनांक 17.07.2025 को समय करीब 11.55 एएम पर मेरे पास आया था और मै इनको मेरे कार्यालय में नही मिलने पर इन्होने मेरे मोबाईल पर कॉल कर मुझे मेरे कक्ष में आने के लिए कहा तो मै इनके कहे अनुसार मेरे कक्ष पर आकर रोशन गुर्जर से मिला था, तो इन्होने मेरे को अपनी माताजी के नाम क्रय की गई पॉच बिस्वा जमीन का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए आदेश देने के लिए कहा था, तब मैने इनको कहा था कि आप आदेश ले जावों, लेकिन यह लेकर नही गया था। मैने इनसे उक्त आदेश दिलवाने के लिए कोई रिश्वत की मांग नही की थी। इसके बाद यह आज समय करीब 1.00 एएम पर मेरे पास आया और मुझे मेरे कमरे से बाहर साईड में टीन सैड के बने बरामदा में लेकर गया तो मैने इनको इनके आदेश देने के लिए कहा तो इन्होने 500-500 रूपये के कुछ नोट जबरदस्ती मेरी जेब में रख दिये। जो मैने जब रोशन गुर्जर आपको मेरी तरफ ईशारा कर वार्ता कर रहा था तब मेरे को शक होने पर मैने आपको देखकर मेरे कार्यालय कक्ष के पास रखी कचरा पात्र में डाल दिये जो अभी कचरा पात्र में ही पडे है। मैने रोशन गुर्जर से न तो कोई रिश्वत की मांग की और न ही प्राप्त किये है। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछने पर बताया कि साहब कानूनगो साहब झूठ बोल रहे है जब मै इनके पास दिनांक 17.07.2025 को मांग सत्यापन के समय आया तो इन्होने मेरे से मेरी माताजी के नाम क्रय की गई पॉच बिस्वा जमीन का नामान्तकरण दर्ज करने के लिए आदेश दिलवाने के लिए 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग की फिर मेरे द्वारा कम करवाने पर 5,000/- रूपये लेने में सहमत होकर आज जब मै इनके पास आया तब कानूनगो साहब अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 5,000/- रूपये मेरे से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिए जा आपको देखकर अपने कार्यालय कक्ष के टीन सेड में रखे कचरापात्र में डाल दिये। फिर इसके बाद आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य ऑफिस कानूनगो को मय स्टाफ सदस्यों के हमराह लेकर तहसीलदार तहसील राजस्व लेखाकार के कक्ष में लाकर कुर्सी पर बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् तहसील कार्यालय बानसूर में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मोर्य ऑफिस कानूनगो के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी के कहे अनुसार उसके मिलने वाले से एक नया लोवर मगवाया जाकर आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट जिसकी बगल की दाहिनी जेब में आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशी

प्राप्त कर रखी गई थी एंव ट्रेप पार्टी को देखकर जेब से निकालकर कचरा पात्र में डाली गई थी उक्त पेन्ट को आरोपी के बदन से शालीन्तापूर्वक उतरवाकर मगवाया गया लोवर पहनवाया गया। पेन्ट की तलाशी गवाह श्री गौरव से लिवाई गई तो ब्राउन कलर का पर्स मिला , जिसमें 400/-रूपये एवं आरोपी का आधार कार्ड व विभागीय परिचय पत्र मिला, जो मौके पर मौजूद आरोपी के भतीजे श्री अनिश कुमार को वापस लौटाया गया। तत्पश्चात पूर्व की भॉति गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा से एक अन्य प्लास्टिक के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में आरोपी के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब को उल्टवाकर जेब एंव उक्त जेब में मिले सफेद रंग के रूमाल को उक्त घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीषीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त पेन्ट की जेब व रूमाल को अच्छी तरह सुखाकर जेब पर नीले पेन का गोलकर उसके अन्दर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर व रूमाल पर सबधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट व रूमाल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्कच् अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, आरोपी व स्टाफ सदस्यों को हमराह लेकर आरोपी द्वारा ट्रेप टीम को देखकर रिश्वती राशी 5,000 रूपये कचरापात्र में डाले गये थे एंव जिसकी निगरानी हेतु श्री राजबीर सिंह कानि0 को छोडा गया था उस कचरापात्र के पास जाकर कचरापात्र में डाले गये रूपयो को गवाह श्री गौरव से उठवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो दोनों गवाहान ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 11 नोट कुल राशी 5500 रूपये होना बताया। इस पर दोनों गवाहान को उक्त नोटो के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करने बाबत कहा तो क्रम सख्या 1 से 10 तक के नोटो के नम्बर एक समान होना तथा एक नोट के नम्बर अलग होना बताया।उक्त क्रम सख्या 1 से 10 तक व क्रम सख्या 11 के बरामदशुदा नोट को अलग-2 सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एंव उक्त बिना नम्बरी क्रम सख्या 11 के 500 रूपये के मिले नोट बाबत आरोपी को पूछा तो आरोपी द्वारा कोई जबाब नही दिया गया। तत्पश्चात वहा से रवाना होकर मय हम राहीयान के वापिस राजस्व लेखाकार के कक्ष में आकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मोर्य ऑफिस कानूनगो के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री रवि कुमार कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई। करवाई गई विडियोंग्राफी के मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशी एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री रोशन गुर्जर के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड एवं परिवादी श्री रोशन गुर्जर के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वाताओं को सुना जाकर श्री राजबीर सिंह कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रोशन गुर्जर द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगणो ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु दो खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क अल्ट्रा हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर दोनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से दो पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई गई जिसका प्रिंटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी-2 डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित दो पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का B-1 व B-2 अंकित किया जाकर मार्क B-1 को सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दूसरे पैन ड्राईव मार्क B-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड शामिल पत्रावली किया गया । इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया

गया। घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद फर्द हाथ धुलाई एंव बरामदगी रिश्वत राशी के समय डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर श्री रवि कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी के दो पेन ड्राईव 32 जीबी के बारी-बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवायी जाकर प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः C-1, C-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एंव पेन डाईव मार्क C-2 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क M अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मोर्य ऑफिस कानूनगो को परिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। ट्रेप कार्यवाही में काम ली गई पीतल की नमूना सील तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 पीएम पर परिवादी को बाद सम्पन् कार्यवाही रवाना कर समय करीब 11.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य ऑफिस कानूनगो व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशी, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के बाद ट्रेप कार्यवाही तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड से रवाना होकर राजकीय अस्पताल बानसूर में आरोपी का मेडिकल करवाते हुए दिनांक 19.07.2025 को समय करीब 02.00 एएम पर एसीबी कार्यालय भिवाडी आये। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयाँ व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 5000/-रूपये एंव एक अन्य 500 रूपये के नोट को श्री झाबर सिंह, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य पुत्र श्री बोदन लाल उम्र 52 साल जाति धानका निवासी ग्राम बालावास तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोडएक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री रोशन गुर्जर से उसकी माताजी श्रीमती मूर्ति देवी के नाम से सन् 2023 में राजस्व ग्राम केहर पुरा में क्रय की गई पॉच बिस्वा जमीन जिसकी रजिस्ट्री परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2023 को तहसील बानसूर में करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण करने पर सरपंच ग्राम पंचायत बबेरा द्वारा उक्त नामान्तकरण को मौके पर जमीन कब्जे में नही होने का नोट अकिंत कर खारिज करने पर परिवादी द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु एसडीएम कोर्ट बानसूर में प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार के नाम आदेश करवाने पर आरोपी द्वारा उक्त क्रय की गई जमीन का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार बानसूर से हल्का पटवारी के नाम आदेश जारी करवाकर देने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 17.07.2025 को परिवाद से 6,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 5,000 रूपये में सहमत होना एंव अपनी उक्त मांग के अनुशरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 18.07.2025 को परिवादी से अपनी तय शुदा रिश्वत राशी मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखना एंव फिर ट्रेप पार्टी को अपनी और आते हुये देखकर कचरा पात्र में डाल देना तथा उक्त रिश्वत राशी कचरा पात्र से बरामद होना एंव आरोपी के दोनों हाथों की अगुंलियो/अंगुठे एंव पेन्ट व पेन्ट की जेब में मिले रूमाल के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य पुत्र श्री बोदन लाल उम्र 52 साल जाति धानका निवासी ग्राम बालावास तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 554 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1070-73 दिनांक 19.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2.जिला कलक्टर कोटपूती-बहरोड, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

चतुर्थ, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/07/2025 12:27:58

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/07/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)